## बिहार सरकार
## समाज कल्याण विभाग

पत्रांक- 3/यो0 स0क0-10/19 2697

प्रेषक,

अतुल प्रसाद भा0प्र0से0
अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।
सभी उप विकास आयुक्त।
सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी।
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक- 6/5/19

**विषय :-** पंचायत राज व्यवस्था प्रबन्धन के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनओं के कार्यो एवं वित्तीय अधिकारों का जिला परिषदों, पंचायत समितियो एवं ग्राम पंचायतो को प्रतिनिधायन के संबंध में।

महाशय/ महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि संविधान के 73वें संशोधन में निहित विकेन्द्रीकरण विषयक सरकार के निर्णय के आलोक में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित विकलांग छात्रवृति योजनाएँ, आंगनबाड़ी परियोजनाओं तथा भवन निर्माण एवं समाज कल्याण निदेशालय/ सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के कार्यो को त्रिस्तरीय पंचायतों को निम्नवत प्रतिनिधानित करने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में विभागान्तर्गत सभी निदेशालयों से प्राप्त निर्णय संलग्न की गई है।

अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 3/यो0 स0क0 - 10/2019 - 2743 दिनांक- 8.5.19

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार, पटना एवं माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।

# समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् स्तर पर कार्यरत् बाल कल्याण समिति

| क्र0 | विवरण | ग्राम पंचायत | पंचायत समिति | जिला परिषद् |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **नीतिगत्**<br>**कार्य/कार्यक्रम जो सौंपे गये हैं।** | <u>पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति के कार्य-</u><br>बेहतर स्वास्थ्य, गुणवतापूर्ण शिक्षा एवं यथोचित पोषण के प्रति बाल अधिकारों की गारंटी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की पहुँच गांवों में रह रहे सभी बच्चों तक है। सरकार यह काम सेवा प्रदान करने वाले निकायों जैसे स्वास्थ्य उपकेंद्रों, स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए करती है। बच्चों को एएनएम/आशा कार्यकर्ताओं, स्कूल शिक्षकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए इन केंद्रों की सेवाएं मिलती है। बच्चों के समग्र विकास के लिए किसी भी रूप में हिंसा, शोषण एवं दुर्व्यवहार इत्यादि से बच्चों का संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण। ये मुद्दे पारस्परिक रूप से जुड़े है और इन्हें अलग-अलग कर नहीं देखा जा सकता। परन्तु बाल संरक्षण के क्षेत्र में पंचायतस्तर पर मुख्य रूप से जिम्मेदार किसी सेवा प्रदाता संस्था या किसी विशेष कर्मचारी/प्रतिनिधि के नहीं होने से संरक्षण के सवालों एवं संबंधित सेवाओं की उपेक्षा हो जाती है। इसलिए बाल संरक्षण के मुद्दों से निपटने एवं विकट स्थिति में फंसे बच्चे या दुर्व्यवहार, हिंसा या शोषण के शिकार बच्चों को सुरक्षा | <u>प्रखंडस्तरीय बाल संरक्षण समिति के कार्य-</u><br>• प्रखण्डस्तर पर सजग प्रहरी के तौर पर काम करना तथा बाल संरक्षण सेवाओं का अनुश्रवण करना।<br>• 'देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे' एवं 'विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे' की श्रेणी में आने वाले बच्चों की स्थिति पर प्रखंड की जरूरत का आकलन रिपोर्ट तैयार करना। इस संबंध में आंकड़ा विहित प्रारूप में एकत्र किया जाना चाहिए।<br>• बच्चों के खिलाफ भेदभाव, दुर्व्यवहार, हिंसा, दमन के मामलों की एक निश्चित समयावधि में जांच करना तथा जांच निष्कर्षों की रिपोर्ट एवं अनुशंसाएं संबंधित अधिकारियों को सौंपने के साथ इसकी एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को भी देना।<br>• आवश्यकता आकलन रिपोर्ट तैयार करने में पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति की मदद करना।<br>• सुनिश्चित करना कि पंचायत एवं ग्रामस्तरीय बाल संरक्षण समितियां अपनी बैठक नियमित रूप से करें एवं अपनी | <u>जिला बाल संरक्षण समिति के कार्य-</u><br>समेकित बाल संरक्षण योजना के मूल्यांकन, अनुश्रवण, निगरानी, कार्य-योजना, निर्माण तथा कार्यान्वन, परामर्श के लिए जिला स्तर की मौलिक इकाई के रूप में जिला बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। जिसके कार्य निम्न प्राकर हैं:-<br>• "राष्ट्रीय बाल कार्ययोजना, 2005 एवं राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 में बताये गये बाल संरक्षण कानूनों, योजनाओं और बाल संरक्षण लक्ष्यों की प्रभावी कार्यान्वन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई-जिला बाल संरक्षण समिति को दिशा/निर्देश देना। ऐसा करने के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकताओं, नियमों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।<br>• समेकित बाल संरक्षण योजना एवं जिला प्रखंड स्तर पर अन्य सभी बाल संरक्षण योजनाओंसंस्थानों को /कार्यक्रमों और एजेंसियों/ |

| क्र0 | विवरण | ग्राम पंचायत | पंचायत समिति | जिला परिषद् |
|---|---|---|---|---|
| | | प्रदान करना अथवा दूसरे शब्दों में बच्चों के संरक्षण अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति से निपटने के लिए पंचायतस्तर पर बाल संरक्षण समिति एक औपचारिक मंच के रूप में समुदाय को स्वयं ही अपने आप को संगठित करना होगा। इस तरह बाल संरक्षण समिति पंचायत में एक बाल-अनुकुल महौल तैयार करने में बहुआयामी भूमिका निभा सकती है, ताकि बच्चों को उनकी अधिकारों की गारंटी हो तथा उनके उल्लंघन की स्थिति में उपयुक्त कार्रवाई की जाती हो। पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति की अपेक्षित भूमिका एवं कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है। यह अपेक्षित कार्यों की महज एक प्रस्तावित सूची है, न कि समग्र व विस्तारित सूची। बच्चों के सर्वोतम हित में ऐसा कोई भी कार्य जो सुनिश्चित करता हो कि उसके कार्यान्वयन में बाल अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उसे करने को बाल संरक्षण समिति स्वतंत्र है<br>• पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण के सजग प्रहरी के तौर पर काम करना तथा बाल संरक्षण संबंधी सेवाओं की अनुश्रवण करना।<br>• संबंधित पंचायत में बाल संरक्षण की स्थिति में सुधार के उपायों की अनुशंसा करना।<br>• समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों तथा बाल विवाह, बाल श्रम, बाल व्यापार, बालिका भ्रूण हत्या आदि से संबंधित बाल संरक्षण कानूनों के समुचित | रिपोर्ट को सुझावोंकार्य के बिदुओं के साथ / प्रखंडस्तरीय बाल संरक्षण समिति के साथ साझा करें।<br>• ऐसे मामलों में दखल देना, जहां समिति को लगे कि पंचायत या ग्रामस्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा उठाए गए किसी मामले में सेवा उपलब्ध कराने को लेकर सेवा प्रदाता निकायों जैसे पुलिस थाना, शिक्षा कार्यालय, पी0एच0सी0 या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा नही की गयी है।<br>• प्रखंड में परवरिश योजना के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करना तथा अगर कोई अड़चन हो तो उसे दूर करना।<br>• जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से पंचायत या ग्रामस्तरीय बाल संरक्षण समितियों के सदस्यों के लिए क्षमता सृजन एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना। | निर्देश देना तथा -प्रभावी क्रियान्वन हेतु दिशा पर्यवेक्षण और निगरानी करना।<br>• बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद् एवं जिला बाल संरक्षण इकाई जिला बाल संरक्षण / समिति की व्यवस्था, समर्थन और निष्पादन की निगरानी एवं समेकित बाल संरक्षण योजना और अन्य सहायता अनुदान योजनाओं के माध्यम से बाल संरक्षण वातावरण निर्माण को प्रोत्साहित करना।<br>• बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद्, गृहों एवं विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण के गठन एवं प्रभावी कार्यान्वन को प्रोत्साहित एवं निगरानी करना।<br>• किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित 2006 एवं बिहार राज्य नियमावली 2012 के प्रभावी कार्यान्वन को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश देना।<br>• बाल संरक्षण कानूनों, नीतियों यथाहिन्दु - पोषण अधिनियम-हण एवं भरणदत्तकग्र1956, अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890, बाल श्रम अधिनियम (प्रतिषेध एवं विनियम) 1986, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, नैतिक व्यापार अधिनियम (निवारण) |

| क्र0 | विवरण | ग्राम पंचायत | पंचायत समिति | जिला परिषद् |
|---|---|---|---|---|
| | | ।<br>• बच्चों के हित के लिए समुदाय आधारित संसाधनों को सुदृढ़ करना।<br>• बाल संरक्षण को लक्ष्य में रखकर गांव या समुदाय आधारित योजना को स्वयं या किसी प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठन या जिला बाल संरक्षण इकाई की मदद से तैयार करना।<br>• विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चों एवं उनके परिवारों की पहचान करना तथा इसे जिला बाल संरक्षरण इकाई के साथ साझा कर ऐसे बच्चों के लिए संचालित सरकारी योजनाओं के अंतर्गत (जैसे परवरिश) सहायता के लिए प्रयास करना।<br>• पंचायत के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर बच्चों की पहुँच के अंदर शिकायतसुझाव -सह-पेटी रखना तथा इन पेटियों से मिली सुझावों पर बैठक में विचार करना।/शिकायतों<br>• आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कर जिला आवश्यकता आकलन )District Need Assessmentएवं स्थितियों के विश्लेषण में ( जिला बाल संरक्षण इकाई की मदद करना।<br>• पंचायतस्तरीय संसाधन निर्देशिका तैयार करना।<br>• बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर टोलों एवं गांवों में जागरूकता कार्यक्रम चलाना।<br>• स्थानीय पुलिस थाना के साथ बैठक करना तथा पुलिस को गुमशुदा बच्चों, बाल विवाह की घटनाओं, जबरन या बंधुआ मजदूरी, किसी | | 1956/1986, गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (विनियम एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम1994 आदि के प्रभावी कार्यान्वन के लिए आवश्यक के निर्देश देना।<br>• बाल संरक्षण के मुद्दों पर प्रमुख संस्थाओं यथास्वास्थ्य-, शिक्षा, समाज कल्याण, शहरी मूलभूत सेवाएँ, अनुसूचित जातिअतिपिछड़ा एवं /पिछड़ा/जनजाति/अल्पसंख्यक, युवा सेवाएँ, पुलिस, न्यायपालिका, श्रम, एड्स नियंत्रण, आपदा प्रबंधन आदि के बीच अंतर क्षेत्रक सह संबंधों को प्रभावी बनाने में समन्वय की भूमिका निभाना।<br>• बाल अधिकार एवं संरक्षण के क्षेत्र में स्वयंसेवी और नागरिक संस्थाओं के साथ नेटवर्क और समन्वय स्थापित करना।<br>• कठिन परिसिथति में रह रहे बच्चों की संख्या एवं सिथति हेतु आकलन एवं जिला आवश्यकता अध्ययन को नियमित रूप से सम्पन्न करवाना।<br>• समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रभावी कार्यान्वन के लिए प्रखंडस्तरीय एवं ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों का गठन सुनिश्चित करना एवं उनकी गतिविधियों की नियमित समीक्षा करना।<br>• जिला में बच्चों को आवासीय सुविधा प्रदान |

| क्र0 | विवरण | ग्राम पंचायत | पंचायत समिति | जिला परिषद् |
|---|---|---|---|---|
| | | बाल व्यापारी की संदिग्ध आवाजाही या बच्चे की सुरक्षा के लिए खतरनाक किसी व्यक्ति के बारे में या बाल दुर्व्यवहार या हिंसा की घटनाओं की जानकारी देना।<br>• बच्चों के सर्वोतम हित एवं बाल संरक्षण अधिकारों के लिए नुकसानदेह परस्परविरोधी सामाजिक रीतिरिवाजों या नियमों के बीच - मध्यस्थता करना।<br>• जिला बाल संरक्षण इकाई तथा जिलास्तर के दूसरे नोडल विभागों के जिलास्तरीय निकायों के साथ नेटवर्क एवं संबंध स्थापित करना।<br>• वार्डो एवं पंचायतों में जहां और जब जरूरी हो कार्यक्रमों के आयोजन अथवा योजना के कार्यान्वयन में जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों को मदद उपलब्ध कराना।<br>• प्रखंडस्तरीय बाल संरक्षण समिति या जिलास्तरीय बाल संरक्षण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आहूत बैठकों में भाग लेना।<br>• वार्ड से बच्चों के पलायन करने, विशेषकर अकेले जाने का रिकार्ड रखने में पंचायत की मदद करना।<br>• वार्ड पंचायत को बच्चों के लिए मित्रवत/ गांव चायत बनाने की दिशा में काम करना।पं/ | | करने वाली संस्थानोंअभिकरणों का पर्यवेक्षण / एवं निगरानी करना।<br>• प्रखंड एवं समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण कार्यक्रम में स्वैच्छिक युवा भागीदारी को प्रोत्साहन देना।<br>• सभी स्तरों पर बच्चों को उनके परिवार में वापस भेजने की प्रक्रिया अथवा बच्चे की प्रवर्तकता, संबंधियों द्वारा देखरेख, स्वदेशी दतकग्रहण, पालनपोषण देखरेख-, अंतरर्देशीय दतकग्रहण और संस्थानों में रखने के माध्यम से दीर्घ और अल्प पुर्नवास में भेजने की प्रक्रिया की निगरानी करना।<br>• चाईल्ड लाईन की गतिविधियों का आकलन तथा समीक्षा करना।<br>• चाईल्डलाईन द्वारा हस्तक्षेप किये गये मामलों से उभरने वाले नीतिगत् मुद्दों का निवारण करना।<br>• चाईल्ड लाईन प्रणाली को अधिक बाल अनुकूल बनाने के लिए कार्य करना।<br>• राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार द्वारा समय समय पर प्रदत-निर्देशों के आलोक में समेकित बाल संरक्षण योजना की गतिविधियों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण आदि। |

| क्र0 | विवरण | ग्राम पंचायत | पंचायत समिति | जिला परिषद् |
|---|---|---|---|---|
| | **अधीन सौंपे गये हैं।** | ग्राम पंचायत या आम बोल-चाल में पंचायत त्रि-स्तरीय विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली के अंतर्गत सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। पंचायत में दो या दो से अधिक राजस्व गाँव होते हैं और इसका प्रमुख एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, जिसे मुखिया कहा जाता है। पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना निम्नवत है :<br>• पंचायत प्रमुख (मुखिया)<br>• पंचायत के उप मुखिया<br>• आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका सीडीपीओ द्वारा ) ( मनोनीत<br>• संबंधित पंचायत के सरपंच<br><br>**संबंधित पंचायत के पंचायत समिति सदस्य**<br>• पंचायत के सभी वार्ड सदस्य<br>• स्कूल शिक्षक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ) (दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत<br>• ए०एन०एम०<br>• विकास मित्र अध्यक्ष) द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत (<br>• आंगनवाड़ी सेविका आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका ) द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर (मनोनीत<br>• किशोरी समूहबाल संसद /सबला एवं मीना मंच/ का प्रतिनिधित्व करने वाले बाल प्रतिनिधि | प्रखंड दो या दो से अधिक पंचायतों का प्रशासनिक समूह है। त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रखंडस्तर पर सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अनुश्रवण में प्रखंडस्तर पर गठित पंचायत समिति अहम भूमिका अदा करती है। समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रखंडस्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन का प्रावधान है। इसकी संरचना निम्नवत है:<br>• प्रमुख (पंचायत समिति अध्यक्ष)<br>• ग्रामीण विकास पदाधिकारी ०ओ०डी०आर))<br>• उप प्रमुख<br>• स्थानीय विधायक<br>• बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ०ओ०पी०डी०सी))<br>• संबंधित प्रखण्ड के सभी जिला परिषद् सदस्य<br>• पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति के सभी अध्यक्ष सभी ग्राम पंचायत के ) (मुखिया<br>• सभी ग्राम पंचायत के सरपंच<br>• सभी पंचायत समिति सदस्य | • अध्यक्ष, जिला परिषद्<br>• जिला पदाधिकारी<br>• आरक्षी अधीक्षक<br>• उप विकास आयुक्त<br>• असैनिक शल्य चिकित्सक<br>• जिला बाल संरक्षण पदाधिकारीसहायक / निदेशक, सामाजिक सुरक्षा<br>**सदस्य सचिव-**<br>• जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई -.एस.डी.सी. **सदस्य**<br>• जिला शिक्षा पदाधिकारी<br>**सदस्य-**<br>• श्रम अधीक्षक**सदस्य-**<br>• अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति**सदस्य-**<br>• प्रधान सदस्य, किशोर न्याय परिषद् **सदस्य-**<br>• सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण**सदस्य-**<br>• आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी**सदस्य-**<br>• विशेष किशोर न्याय पुलिस इकाई के समन्वयक-**सदस्य** |

| क्र0 | विवरण | ग्राम पंचायत | पंचायत समिति | जिला परिषद् |
|---|---|---|---|---|
| | | )12-18 वर्ष(, जो इन समूहों द्वारा मनोनीत किए जाएँगे। यदि ऐसे समूह कार्यरत नहीं हों तो माध्यमिक विद्यालयउच्च विद्यालय के / प्राचार्य द्वारा मनोनीत बाल प्रतिनिधि।<br>• कमजोर वर्ग अनुसूचित /अनुसूचित जाति) (शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति /जनजाति अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए ) के प्रतिनिधि (चक्रीय आधार पर मनोनीत<br>• समुदाय के प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार ) (पर मनोनीत<br>• चौकीदार -स्थानीय पुलिस थाना के किशोर) बाल॰ कल्याण पदाधिकारी द्वारा दो वर्ष के -सह (लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत<br>• समुदाय आधारित संगठनस्वयंसेवी / महिला स्व/संस्थायं सहायता समूह सचिव से ) मंत्रणा कर अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए (चक्रीय आधार पर मनोनीत<br><br>**नोटःविभाग स्तर से उक्त समिति के कार्यों के - निष्पादन हेतु कोई अतिरिक्त कार्यबल । .एस.डी.सी.समिति के सभी सदस्यों में आई, पुलिस, षिक्षा विभाग, पंचायती , स्वास्थ्य विभाग से जडे पदाधिकारियों को पदेन सदस्य के रूप में** | • जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि<br>• पुलिस प्रतिनिधि बाल कल्याण -सह-किशोर) पदाधिकारी के पद पर नामित पुलिस के ०यू०पी०जे०जिले में एस) (पदाधिकारी ०पी०एस०डी(मुख्यालयके द्वारा ( मनोनीत किया जाएगा।<br>• प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी ०ओ०एम०बी))<br>• प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी<br>• प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ०ओ०इ०बी))<br>• श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी<br>• बाल प्रतिनिधि )12-18 वर्षप्रखंडस्तरीय ) ( बाल संरक्षण समिति की प्रत्येक बैठक में शामिल होने के लिए पंचायतस्तरीय बाल | • जिला के प्रतिष्ठित महाविद्यालय के मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष**सदस्य-**<br>• जिला में संचालित बाल गृह, बालिका गृह, पर्यवेक्षण गृहविशेष गृह के सभी / **सदस्य-**उपाधीक्षक/अधीक्षक<br>• चाईल्डलाइन के प्रतिनिधि **सदस्य-**(यदि हों)<br><br>**नोटःविभाग स्तर से उक्त समिति के कार्यों के - निष्पादन हेतु कोई अतिरिक्त कार्यबल । समिति .एस.डी.सी.के सभी सदस्यों में आई, पुलिस, षिक्षा विभाग, पंचायती , स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पदाधिकारियों को पदेन सदस्य के रूप में नामित किया गया है।** |

| क्र0 | विवरण | ग्राम पंचायत | पंचायत समिति | जिला परिषद् |
|---|---|---|---|---|
| | | **नामित किया गया है।** | किया जाएगा। प्रखंड के सभी पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को प्रतिनिधित्व का अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह आमंत्रण चक्रीय आधार पर दिया जाएगा(<br>• चाइल्डलाइन प्रतिनिधि<br>• बाल संरक्षण (मनोनयन में प्राथमिकता) कल्याण के क्षेत्र में /स्वास्थ्य/या बाल शिक्षा काम करने वाले प्रतिष्ठित स्वयंसेवी सिविल सोसायटी संगठन आदि के /संस्था तिनिधिप्र<br>• प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति (अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)<br>**नोटःविभाग स्तर से उक्त समिति के - कार्यों के निष्पादन हेतु कोई अतिरिक्त कार्यबल । समिति के सभी सदस्यों में .एस.डी.सी.आई, पुलिस, षिक्षा विभाग, पंचायती , स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पदाधिकारियों को पदेन सदस्य के रूप में नामित किया गया है।** | |
| 3. | **कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण** | मुखिया की अध्यक्षता में कार्यरत् है। | प्रमुख (पंचायत समिति अध्यक्ष) की अध्यक्षता में एवं ग्रामीण विकास पदाधिकारी की सह | जिला परिषद् अध्यक्ष की अध्यक्षता एवं जिला पदाधिकारी की सह-अध्यक्षता में कार्यरत् है। |

| क्र0 | विवरण | ग्राम पंचायत | पंचायत समिति | जिला परिषद् |
|---|---|---|---|---|
| | | | अध्यक्षता में कार्यरत् है। | |
| 4. | पर्यवेक्षकीय अधिकार | ...................................... | ...................................... | ...................................... |
| 5. | वित्तीय अधिकार | कोई वित्तीय अधिकार नही है। | कोई वित्तीय अधिकार नही है। | कोई वित्तीय अधिकार नही है। |
| 6. | अन्य बिंदु जो आवश्यक समझे जायें | ...................................... | ...................................... | ...................................... |

# आई0सी0डी0एस0 निदेशालय

| क्र | विवरण | | ग्राम पंचायत | पंचायत समिति | जिला परिषद |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नीतिगत कार्य/कार्यक्रम जो सौंपे गये है। | 1. ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण। | ग्राम पंचायत के कार्य के अन्तर्गत वार्ड स्तर पर संचालित ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत सरकारी भूमि चिन्हित कर उसे उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी तथा स्थल के संबंध में अपनी अनुशंसा पंचायत समिति को भेजेगी। | पंचायत समिति के क्षेत्र के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा वार्ड स्तर पर संचालित ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण हेतु स्थल चयन एवं भवन निर्माण पंचायत समिति द्वारा सरकार के नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार सामान्यतया पंचायत समिति के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा। | जिला परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा वार्ड स्तर पर संचालित ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण का अनुश्रवण एवं सामान्य पर्यवेक्षण जिला परिषद अपनी सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से करेगी। |
| | | 2. समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय सह गोदाम निर्माण। | - | पंचायत समिति के क्षेत्र के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रखण्ड स्तर पर संचालित समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय सह गोदाम भवन के निर्माण हेतु सामान्यतया स्थल चयन एवं भवन निर्माण पंचायत समिति द्वारा सरकार के नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार सम्पादित किया जाएगा। | जिला परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रखण्ड स्तर पर संचालित समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय सह गोदाम भवन के निर्माण का अनुश्रवण एवं सामान्य पर्यवेक्षण जिला परिषद अपनी सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से करेगी। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. केन्द्रों पर पोषाहार वितरण, चिकित्सीय जॉच तथा अन्य योजना संबंधी कार्य | ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभान्वितों के बीच वितरण हेतु पोषाहार आदि का क्रय एवं वितरण का स्थानीय स्तर पर अनुश्रवण एवं सामान्य पर्यवेक्षण ऑगनबाड़ी विकास समिति के द्वारा किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते है। केन्द्रों पर पोषाहार वितरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, चिकित्सीय जॉच तथा इस कार्यक्रम के अन्य अवयवों का सामान्य अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण ग्राम पंचायत करेगी। | पंचायत समिति के क्षेत्र के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा वार्ड स्तर पर संचालित ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, चिकित्सीय जॉच तथा इस कार्य के अन्य अवयवों का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण पंचायत समिति अपनी सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से करेगी। | जिला परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा वार्ड स्तर पर संचालित ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, चिकित्सीय जॉच तथा अन्य कार्यो का अनुश्रवण एवं सामान्य पर्यवेक्षण जिला परिषद अपनी सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से करेगी। |
| | | 4. ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का चयन | वार्ड स्तर पर संचालित ऑगनबाड़ी केन्द्र के लिए ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के चयन का कार्य विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आधार पर वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्ड स्तर पर आम सभा आयोजित कर की जा रही है। इस चयन समिति में वार्ड सदस्य अध्यक्ष, पंच उपाध्यक्ष एवं महिला पर्यवेक्षिका सदस्य सचिव होती है। कार्यवाही पंजी का संधारण महिला पर्यवेक्षिका द्वारा परियोजना कार्यालय में किया जा रहा है। | - | - |

## सामाजिक सुरक्षा निदेशालय

| क्र0 | विषय | ग्राम पंचायत | पंचायत समिति | जिला परिषद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नीतिगत कार्य/ कार्यक्रम जो सौंपे गये है। | कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना में पंचायत के खाते में राशि रू0 15,000/- प्रति पंचायत उपलब्ध कराया गया है। | शून्य | शून्य |
| 2 | कर्मी जो पंचायतों के अधीन सौंपे गये हैं | शून्य (जिलों में सहायक निदेशक एवं उच्च वर्गीय लिपिक कार्यरत हैं, जो सरकारी कर्मी हैं) | शून्य | शून्य |
| 3 | कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4 | पर्यवेक्षिकीय अधिकार | कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना एवं सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा अन्य मृत्यु अनुदान योजना में स्वीकृति हेतु जॉच कार्य में पंचायत की भूमिका है। | शून्य | शून्य |
| 5 | वित्तीय अधिकार | कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना में 05 लाभुकों के लिए राशि One Time Advance के रूप में रखी जाती है। | | |
| 6 | अन्य बिन्दु जो आवश्यक समझे जायें | | | |

## दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय

निष्कर्ष :- उच्च स्तरीय मौखिक निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 से दिव्यांग छात्रवृति अस्थायी रूप से स्थगित है।

## महिला विकास निगम

| क्र0 | विषय | ग्राम पंचायत | पंचायत समिति | जिला परिषद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नीतिगत कार्य/ कार्यक्रम जो सौंपे गये है। | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2 | कर्मी जो पंचायतों के अधीन सौंपे गये हैं | शून्य | शून्य | शून्य |
| 3 | कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4 | पर्यवेक्षिकीय अधिकार | शून्य | शून्य | शून्य |
| 5 | वित्तीय अधिकार | शून्य | शून्य | शून्य |
| 6 | अन्य बिन्दु जो आवश्यक समझे जायें | शून्य | शून्य | शून्य |